



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-सीकर



* जाति प्रमाण-पत्र *

क्रमांक : RJ13/2016/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (SC/ST)/12773
दिनांक 01-09-2016

आवेदक का आधार नम्बर : 975704411492

आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या : NA

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामरतन पुत्र मोठू राम रैगर गांव/नगर ग्राम आसपुरा वाया अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर जिला/डिवीजन सीकर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में रैगर (17) जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950,
संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951,
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सुविधा (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, बंगाल पुनर्गठन अधिनियम 1956, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा तथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा तथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति तथा निचोखार, टूक लमह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (पडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (मोअ, दमन तथा दीच) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (मोअ, दमन तथा दीच) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी रामरतन गांव/नगर ग्राम आसपुरा वाया अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर जिला/डिवीजन सीकर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

नोट :

1. यहां प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं एफ. 21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.ernitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से ऑन-लाइन सत्यापित किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature valid

Digitally signed by
ARYA SUMI
Date: 2016.09.01
00:07:48 IST
Reason: SCM
Location: Rajasthan



1A130A4210140A0A0